जागतिक भ्रष्टाचार-प्रतिबंधक नीति

I. उद्देश्य

हर राष्ट्र में घूस, किकबॅक अथवा अन्य प्रकार से भ्रष्ट प्रदान करना कानूनन जुर्म माना जाता है, जिससे ईटन तथा व्यक्तिगत कर्मचारी दंड एवं/या कारावास के पात्र हो जाते हैं. यूएस फॉरिन करप्ट प्रॅक्टिसेस अँक्ट (एफसीपीए) सहित, इन सभी भ्रष्टाचार-प्रतिबंधक कानूनों के अंतर्गत किसी भी विदेशी शासकीय अधिकारीयों, विदेश के राजकीय पक्ष (या उनसे संबंधित अधिकारी) या विदेशी कार्यालयके सदस्य को, इन अधिकारीयों, पक्ष वा प्रत्याशियों की कृति या निर्णय को प्रभावित करने के हेतु से, किसी भी मूल्य की चीज़ तथा राशी देना, देने का आश्वासन करना जुर्म होता है. इन देशों में इस प्रकार के भुगतान आम रीवाज़ हो, तब भी यह लागू होता है.

एफसीपीए एवं हमारी कंपनी जहाँ व्यवसायबद्ध है, या व्यवसाय करना चाहती है, उन अन्य राष्ट्रों के संबंधित भ्रष्टाचार-प्रतिबंधक कानूनों का सभी कर्मचारी वर्ग, अधिकारी तथा ईटन के सभी संचालकों, और हमारे सहायक व संलग्न संस्थाओं द्वारा इस नीति कड़ा अनुपालन निश्चित करना यह इस नीति का उद्देश्य है. इस नीति में निम्न चीजों का समावेश होता है-

- **घूस, किकबॅक्स या अन्य भ्रष्ट भुगतान**
- **सरलीकरण भुगतान (फसिलिटेशन पेमेन्टस्)**
- **तृतीय पक्षों के साथ संबंध**

II. कार्यक्षेत्र

ईटन, तथा दुनियाभर में उनकी सभी संलग्न संस्थाओं, सहायक शाखाओं के सभी कर्मचारी वर्ग, अधिकारी एवं संचालकों को यह नीति लागू होती है. **ईटन की नीति-संहिता तथा जागतिक नज़राना एवं मनोरंजन नीति इनके साथ साथ इस नीति का भी प्रयोग अनिवार्य है.**

III. नीति

घूस, किकबॅक्स या अन्य भ्रष्ट भुगतान

ईटन की यह नीति है कि, दुनियाभर में कहीं भी व्यवसाय करते समय, ईटन, सभी सहायक संस्थाएँ, कर्मचारी, अधिकारी तथा संचालक, प्रतिनिधी, एजंट वा सल्लागार की भूमिका में संलग्न सभी व्यक्ति, लागू होनेवाले भ्रष्टाचार-प्रतिबंधक कानूनों, विशेष रूप से एफसीपीए का कड़े तौर पे अनुपालन करें. कोई भी व्यक्ति, संघटन, संस्था, जिनमें समाविष्ट है शासकीय एजन्सीज़, व्यक्तिगत शासकीय अधिकारी, निजी कंपनीयाँ तथा उनके कर्मचारी वर्गों को या वर्गों से, किसी भी मूल्य, स्वरूप की घूस, किकबॅक एवं अन्य भ्रष्ट भुगतानों का प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपसे, प्रस्ताव देना, प्रदान करना, मांग करना या स्वीकार करना ईटन के कर्मचारीयों को किसी भी परिस्थिती में निषिद्ध है.

यह निषेध लागू होता है,

- दुनिया भर मे, किसी भी अपवाद के बिना;
- प्रादेशिक रीति-रिवाज़ों, स्थानीय दस्तूर या स्पर्धात्मक परिस्थितीयों को ध्यान मे ना रखते हुए; और
- ईटन के लिए काम करने वाले प्रतिनिधि, सल्लागार, ब्रोकर, ठेकेदार, आपूर्तिकार, संयुक्त कार्य या संलग्न संस्थाएं, वा कोई अन्य मध्यस्थ या एजन्ट, ऐसे तृतीय पक्ष द्वारा किए गए, कोई भी घूस, किकबॅक एवं अन्य भ्रष्ट भुगतान या अप्रत्यक्ष भुगतानों के लिए.

घूस देना नामंज़ूर करने के परिणामस्वरुप होने वाले किसी भी विलंब, व्यावसायिक नुकसान के लिए किसी भी कर्मचारी को दोषी माना नही जाएगा या उस पर कोई कार्यवाही नही की जाएगी.

तृतीय पक्ष

इस नीति के अनुसार, भागीदारों, मध्यस्थ एजंटों, संयुक्त कार्यों, या तृतीय पक्षों के माध्यम से किये जाने वालें भ्रष्ट प्रस्ताव, आश्वासन एवं भुगतान निषिद्ध हैं. इसलिए, ऐसे भागीदारों, मध्यस्थ एजंटों के प्रति सतर्कता और कोई भ्रष्ट भुगतान संभावित करने वाली सभी वास्तविकताओं को नज़रअंदाज न करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है. ईटन द्वारा केवल प्रतिष्ठायोग्य और ईमानदार एजन्टों, प्रतिनिधि एवं भागीदारों का प्रतिधारण हो यही विशेष सतर्कता का उद्देश्य है. इसके अलावा, एजन्टों, तृतीय पक्षीय प्रतिनिधि एवं संयुक्त कार्यों के भागीदारों के साथ संविदा करते समय, उसमें, संभाव्य अवैध भुगतानों की जोखिम प्रतिबंधक उपयोजन यथासम्भव समाविष्ट करना आवश्यक है.

सरलीकरण भुगतान (फसिलिटेशन पेमेन्टस्)

यूएस कानून के अंतर्गत जहाँ (कंपनी के आर्थिक रजिस्टरों में योग्य प्रकार से दर्ज़ किए हो ऐसे) सरलीकरण भुगतानों की अनुमती है, वही, अधिकतम अन्य राष्ट्रों में स्थानीय कानुनों में इस प्रकार के भुगतान अवैध होते है. सरलीकरण भुगतान का मतलब है, अमरिका बाहर के लिपिक स्तरीय शासकीय अधिकारीयों को आम गैर-विवेकाधीन शासकीय कामोंको शीघ्रता से निबटने के लिए दीए जाने वाले कम राशी के भुगतान. सरलीकरण भुगतानों के उदाहरण इस प्रकार हो सकतें हैं - व्यवसाय करने के लिए आवश्यक सामान्य अनुज्ञा पत्र, वीज़ा तथा कार्य आदेश की प्रक्रिया, पत्र या दूरध्वनी सेवा प्राप्त करना, या सीमा शुल्क विभाग से कोई माल छुडाने में शीघ्रता करना (यह सभी प्राप्त करने के लिए सभी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ती की गयी है ऐसा यहाँ माना है).

सरलीकरण भुगतान अदा करने का ईटन निषेध करतें है यहाँ दियी गयी दो परिस्थितियों का **<u>यह अपवाद छोड के</u>** और **<u>केवल</u>** ईटन के कानून विभाग से पूर्व संमती के साथ (या, जिन हालातों में पूर्व संमती मुमकिन नही हो तो, इस प्रकार के भुगतान के तुरंत बाद):

- इस प्रकार से भुगतान न करने से इस कर्मचारी (या सफर में उनके सहकारी के) व्यक्तिगत स्वास्थ्य या सुरक्षा या शारीरिक वा मानसिक तंदुरुस्ती को हानी पहुँचने की संभावना हो जाती है; या
- इस प्रकार का भुगतान ना देने से परिणामस्वरुप, अन्यथा कानूनी तरीके से सहजता से प्राप्त होने वाली प्राथमिक पानी, बिजली अथवा दूरध्वनी जैसी अ-स्वेच्छाधीन सेवाएँ शुरू करने के लिए शासकीय अधिकारीसे मंज़ूरी ना मिलनेसे उत्पादन सुविधा की शुरुआत होने मे विलंब के कारण ईटन को त्वरीत तथा महत्त्वपूर्ण आर्थिक नुकसानोंका सामना करना पड़ना.

दस्तऐवज और रेकॉर्डस्

इस प्रकारके किसी भी आर्थिक लेन-देन के व्यवहार ईटन के रजिस्टरों में तथा दस्तऐवजों में सुयोग्य पद्धती से

अंकित करने की एफसीपीए की आवश्यकता के अनुसार, कोई भी काम सुकर करने के लिए दिए जानेवाले सरलीकरण भुगतान के बारे मे आपके नियंत्रक के सूचित करके, उसे सरलीकरण भुगतान या फॅसिलिटेशन पेमेन्ट जैसे ही अंकित किया जाना अत्यंत आवश्यक है. सुयोग्य तरीके से इसकी तसदीक न किये जाने से, कानूनी तौर से मान्यताप्राप्त सरलीकरण से भी ईटन पर दायित्व हो सकता है.

जागतिक भ्रष्टाचार-विरोधी नीति परिशिष्ट

उदाहरण

दृश्य- एक उभरते हुए बाज़ार के एक शासकीय निरीक्षक को हमारी सुविधा में कई छोटे सुरक्षा उल्लंघन नज़र आतें हैं. इसकी वजह से उसे वहीं, जगह पर दंड अदा ना करने पर हमारी सुविधा को बंद करवाने की धमकी वह देता है.

विश्लेषण- इस परिस्थिती में, कानून विभाग से तुरंत संपर्क करें. हमें अनावश्यक नौकरशाही कठिनाइयाँ निश्चित रूप से टालनीं है, परंतु फिर भी शासकीय निरीक्षक को पैसे देना अयोग्य है तथा यह अवैध भी हो सकता है.

दृश्य- एक क्रय प्रबंधक बतातें हैं कि, वह ईटन के साथ दीर्घकालीन आपूर्ति समझौता कर सकतें है, परंतु इसके लिए ईटनने क्रय मूल्य का कुछ हिस्सा “छूट” समझ कर खरीदीदार कंपनी को वापिस करने मे मंज़ूरी देनी पड़ेगी. आप क्या करेंगे?

विश्लेषण- व्यवसाय प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य का कुछ हिस्सा छूट पर वापिस देना यदि आप मंज़ूर करतें हैं (उर्वरित मूल्य व्यवसाय के हिसाब से अच्छी है यह हम मान के चलेंगे), तो वापिस की गयी राशी खरीदीदार कंपनी के ही खाते में जमा हो रही है, क्रय प्रबंधक या कोयी अन्य तृतीय पक्ष के खाते में नही, यह प्रथम सुनिश्चित करें. लेन-देन संबंधि, माल पहुँचाने का मार्ग आदि के लिए जब कोयी “असामान्य” बिनती होती है, तब इस प्रकार के सुझाव वैध है एवं वह किसी भी अयोग्य व्यवस्था के प्रति सहायभूत नही है, इस बारे में निश्चिती करने की उचित सावधानी बरतें.

दृश्य- एक उभरते बाज़ार में एक नयी सुविधा के लिए ज़मीन खरीदने में ईटन इच्छित है. इस ज़मीन का स्वामित्व अधिकार स्थानीय शासन के पास है. एक रियल इस्टेट एजन्ट आपको बताता है कि, इस व्यवहार के मूल्य की 25% राशी कमिशन के तौर पर उसे देने पर वह इस स्थानीय शासन के साथ उस के “गठबंधन” के इस्तेमाल से इस ज़मीन का व्यवहार पूरा करेगा. क्या आप कमिशन देंगे?

विश्लेषण- नहीं. कमिशन का इतना बड़ा मूल्य और एजन्ट का शासन के साथ गठबंधन का दावा, यह चीज़ें, व्यवहार अयोग्य होने के काफी स्पष्ट “भयसूचक चिन्ह” है.

दृश्य- नागरी अशांति से भरे एक देश से बाहर जाने की कोशिश में आपको एक स्थानीय सीमाशुल्क अधिकारी रोक रखतें हैं. सीमाशुल्क जाँच से बाहर निकलने की अनुमती देने के लिए यह अधिकारी आपसे “प्रक्रिया शुल्क” के नाम पर 20 यूएस डॉलर्स माँगतें है.

विश्लेषण- यहाँ, आप यह शुल्क अदा कर सकतें हैं, किंतु इस के साथ ही आपको हमारे कानून विभाग को इस बारे में तुरंत सूचित कर देना आवश्यक है, और यह भुगतान योग्य प्रकार से अंकित होना चाहिये.

दृश्य- एक ग्राहक आपको बेचे गए उत्पादों के लिए दो अलग इनवॉइस देने की माँग करते है – जिनमे से एक पर वास्तविक मूल्य तो दूसरे पर ज़्यादा मूल्य होगा. पहले इनवॉइस के अनुसार ग्राहक रकम अदा करेंगे, और अंतिम उपयोगकर्ता से ज़्यादा मूल्य प्राप्त करने के लिए दूसरे इनवॉइस का इस्तेमाल किया जाएगा. क्या यह स्वीकार्य है?

विश्लेषण- नही. बढाए गए मूल्य का दूसरा इनवॉइस दे कर, ग्राहक के गलतबयानी या धोखाधड़ी में ईटनद्वारा साझिदारी हो सकती है. यह इनवॉइस ग्राहक ने अयोग्य रीतीसे इस्तेमाल करने पर उसका दायित्व ईटनपर आ सकता है. (ग्राहकने कम मूल्य का नकली इनवॉइस माँगनेपर भी यह सत्य होगा. इस नकली इनवॉइस का इस्तेमाल ग्राहक से सीमाशुल्क घटाने के लिए करने पर ग्राहक को शुल्क से बच निकलने मे मदद करने के लिए ईटन को कानूनी तौर पर जिम्मेदार माना जा सकता है.)

दृश्य- ईटन के उत्पाद ले जानेवाला एक बड़ा शिपमेंट उभरते हुए बाज़ार के एक महत्त्वपूर्ण ग्राहक की ओर जा रहा है. भेजे जानेवाले दस्तऐवज़ोंपर सूचित किया गया खतरे का संबोध उत्पादों के ड़िब्बोंपर ना होने की वजह से इस शिपमेंट को सीमाशुल्क विभाग मे रुकाया गया है. इस विलंब से हमारी डिलिवरी तारीख चूकने का भय है. हमारा तृतीय पक्षीय ट्रान्सपोर्टर आपको बताता है कि, एक छोटी रकम अदा करने पर, वह सीमाशुल्क अधिकारीयों को, यह विसंगति को नज़रअंदाज़ करने के लिए समझा सकता है. क्या यह अच्छा होगा?

विश्लेषण- नही. एक ईटन कर्मचारी होने के नाते, इस प्रकार के भुगतान करने की आपको अनुमती नही है और ट्रान्सपोर्टर के द्वारा भुगतान करना आपके द्वारा भुगतान करने के बराबर है. जो काम करना हमारे लिए निषिद्ध है, वह काम हम किसी तृतीय पक्ष से करवा ले नहीं सकते.

दृश्य- शासन-अधिकारित संस्थाओं के साथ अन्य ग्राहकोंसे व्यवसाय प्राप्त करने मे आपकी मदद करें ऐसा एक सलाहगार आप नियुक्त करना चाहते हो. यह सलाहगार "लॉजिस्टिक्स" शुल्क के तौर पर 100,000 डॉलर्स के अग्रिम मूल्य की तथा किसी भी ठेके पर 25% कमिशन की माँग करते है. ईटन के उत्पादोंके बारे मे सलाहगार को कोइ विशेष व्यावसायिक अनुभव नही है परंतु एक "काम कराके लेने वाला" ऐसी उसकी पहचान है. क्या आपको इस तरह के व्यावसायिक समझौते मे शामिल होना चाहिये?

विश्लेषण- अतिरिक्त सतर्कता एवं समझोते मे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा न होने पर नही. उपरी तौर से, यह समझौता अवैध दिखता नही है, *फिर भी* इस में कुछ खतरे की घंटीयाँ हैं जिनकी जाँच ना किये जानेपर हम तथा हमारी कंपनी द्वारा एफसीपीए या अन्य भ्रष्टाचारविरोधी कानूनों का उल्लंघन होने की संभावना होती है. तृतीय पक्षों के लिए, विशेषतः प्रत्यक्ष शासकीय संस्थाओंसे व्यवहार करनेवाले और वहाँ तक “पोहोंच” होने के शुल्क लेनेवालों के लिए किये जाने वाले, सामान्येतर, अग्रिम भुगतान अदा करने एवं/या कमिशन्स के संबंधों में सतर्क रहें. एफसीपीए के विश्लेषण के हेतुसे, तृतीय पक्षीय, भ्रष्ट लेन-देन के व्यवहार किये जाने की आशंका सूचित करनेवाले वास्तवोंको आप जानबूझ कर नज़रअंदाज़ कर सकतें हैं. एजन्टोंकी सतर्कता जाँच और योग्य संविदात्मक भाषा के लिए कानून विभाग से संपर्क करें.

दृश्य- मध्य-पूर्व मे एक शासकीय संविदा के लिए एक कंपनी के साथ आप संयुक्तरित्या (“जेवी”) बोली लगावा चाहतें हैं. संविदा की बातचीत के दरम्यान जेव्ही भागीदार प्रकट करता है कि, लक्षणीय रूप से भ्रष्टाचार होने वाले देशोंमे तृतीय पक्षों के साथ उसकी अनेक मौजूदा संविदाएँ चालू है. इनमे से कुछ संविदाओं का इस्तेमाल शासकीय अधिकारीयों की "जान-पहचान कराने के लिए” होता है तथा यह भागीदार दृढतापूर्वक कहता है कि, विशिष्ट देशों में व्यवसाय करने के लिए यह जानकारी आवश्यक है. क्या आप यह व्यावसायिक समझौते का स्वीकार कर सकेंगे?

विश्लेषण- अधिक जानकारी लेने तक नही. प्रस्तावित जेवी भागीदार ने इन संविदाओं मे ईटन से संबंध जुड़ने से पहलेही प्रवेश किया होनेसे भी, आगे चलकर इस से कानूनी तथा व्यावसायिक दृष्टिकोणसे समस्या उत्पन्न हो सकती हैं.

इस प्रकार की “खरीदे हुए परिचय” भ्रष्ट व्यवहार माने जा सकतें है. ईटन के कर्मचारी इन भ्रष्ट व्यवहारों में जुडे ना होने पर भी, जेवी से संबंधित पक्ष के नाते, ईटन पर भी एफसीपीए तथा अन्य भ्रष्टाचारविरोधी कानूनों अंतर्गत इस संबंध से दायित्व आ सकता है.

जेवी भागीदार या उनका एजन्ट इनमे से किसी ने भी इससे पहले कभी भी व्यवसाय प्राप्त करने के लिए या लाभदायक शासकीय निर्णयोंके लिए कोई भ्रष्ट कृती की हो, तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से, वर्तमान काम व व्यवसाय के मूल्यपर इसका बुरा असर हो सकता है.

किसी भी संयुक्त संविदा मे प्रवेश करने से पहले, सतर्कता से जाँच करने में आपकी सहायता लिए कानून विभागसे संपर्क करें. इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप संविदा व इतर संबंधित दस्तऐवज जाँच सकतें है, प्रमुख लोगोंसे चर्चा कर सकतें हैं, एवं व्यवसाय के लिए प्रतिनिधित्व तथा गारंटी विकसित कर सकतें हैं. इस प्रक्रिया से आप निश्चित कर सकेंगे कि, आपकी तृतीय पक्षके साथ की संविदाएँ भ्रष्ट संबंधोंपर आधारित नही है.

सामान्य प्रश्न

घूस या किकबॅक का वास्तव में मतलब क्या है?

साधारणतः, कोई एक चीज़ करने के लिए या ना करने के लिए अथवा किसी निर्णयपर प्रभाव डालने के लिए प्रलोभन के तौर पर कोई भी रकम, भेंट, कर्ज़ा, शुल्क, ईनाम या अन्य फायदे या प्रतिफल किसी भी व्यक्तीसे स्वीकार करना अथवा किसी व्यक्ती को देना, इस प्रकार से घूसखोरी संज्ञा की व्याख्या की जाती है. उदाहरणार्थ, (अ) व्यवसाय प्राप्त करने हेतु, कायम रखने हेतु किंवा उसकी दिशा निश्चित करने हेतु (ब) व्यवसायसंबंधि व्यवहारोंमें असंगत या अनुचित फायदे हाँटने हेतु (जैसे की, खुदको लाभदायक हो ऐसा कर-व्यवहार) या (क) तृतीय पक्ष का मत या वर्तन प्रभावित करने हेतु या इच्छित नतीजा या कृति उत्पन्न करने हेतु भुगतान करने का मतलब घूस होता है. किकबॅक/कमिशन यह भी एक प्रकार की घूस है. कानूनी व्यावसायिक लेन-देन का एक हिस्सा, मान कर पहले दिये गए भुगतान की रकम का कुछ भाग अनैतिकता से या अवैध तरीके से देना यह इसका वर्णन हो सकता है. उदाहरणार्थ, एक अनैतिक आपूर्तिकार, किसी क्रय प्रबंधक को, उससे मिले आपूर्ति संविदा के बदले मे कुछ रकम देना कबूल कर सकता है.

क्या किसी व्यक्ति ने कोई काम के लिए संमती देने के बदले मे, उसे पैसे का लाभ अदा करना या कोई भेंट दे देना ईटन के लिए स्वीकार्ह है?

नहीं. घूसखोरी, किकबॅक्स या भ्रष्ट भुगतान के कोई भी अन्य तरीके का मतलब केवल नकद राशी के रूप मे ही यह सब देना इतना ही नहीं, तो उसके अनेक प्रकार हो सकतें हैं. इसमें निम्न चीज़ें समाविष्ट हो सकतीं हैं

- घूस लेने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार को नौकरी देना,
- शासकीय नौकरी से निवृत्ती के पश्चात नौकरी देने का आश्वासन देना, या
- अत्यधिक प्रमाणमें तथा महेंगी भेंटें या वैषयिक लाभ स्वरूप की भेंटें

शासकीय अधिकारी तथा निजी संस्थाओं के कर्मचारीयों को दीए जाने वाले नज़रानें, मनोरंजन एवं यात्रा जैसी सभी चीज़ों की ओर घूस या अन्य भ्रष्ट भुगतान के दृष्टीकोण से तो नही देखा जा रहा है इस बारें में निश्चिती कर लें. योग्य भेंटें, मनोरंजन तथा औरोंसे संबंधित यात्रा का आदान या प्रदान करना, इन सभी के बारे मे मार्गदर्शन के लिए जागतिक नज़राना एवं मनोरंजन नीति का संदर्भ लें.

धर्मार्थ दान के बारे मे क्या? क्या यह भी अनुचित माने जातें हैं?

घूस या अन्य भ्रष्ट भुगतानों के लिए छुपा मार्ग हो ऐसे स्वरूप के धर्मार्थ अंशदान या प्रायोजकता जैसी चीज़ें कर्मचारीओंने अवश्य टालनीं हैं. मसले के लिए, कोयी भ्रष्ट अधिकारी सुझा सकता है कि, उसने हमे व्यवसाय देने संबंधी सोचनेसे पहले, हमें उसकी पसंद की धर्मार्थ संस्था को सहयोग देने को संमती देनी होगी. इस प्रकार के कोई भी अंशदान करनेसे पहले कानून विभागसे अनुमती लें. हमें निश्चिती करनी होगी कि- (अ) यह धर्मार्थ संस्था वैध है; (ब) अदा की हुई रकम उस अधिकारी या उसके घरवालों की तरफ तो नही फेरी जा रही है अथवा इससे उन्हे किसी अन्य प्रकार से फायदा तो नहीं हो रहा है; (क) हमारा अंशदान पारदर्शक है तथा हमारे आर्थिक दस्तऐवजों में इसको योग्य प्रकार से अंकित किया गया है; (ड) लागू होनेवाले सभी कानूनोंसे यह तज़वीज सुसंगत है; और (इ) ऐसी मांग करने वालेने लिये गए किसी भी लाभदायी निर्णय के बदले में यह अंशदान नही दिया जा रहा है.

क्या वास्तविकता मे लिये गए मूल्य से अधिक अथवा कम मूल्य दिखाने वाला इनवॉइस ग्राहक को देना स्वीकार्ह है?

नहीं. यह इनवॉइस किया गया उत्पाद जिस वास्तविक किमत मे बेचा गया है, वही किमत हमारे द्वारा ग्राहकों को दिये जाने वाले सभी इनवॉइसोंमे प्रतिबिंबित होनी आवश्यक है. ग्राहक ने इनवॉइस के उद्देश्य संदर्भ में कोयी भी कारण दिया होने पर भी यह लागू है.

शासकीय अधिकारी कौन होता है? ग्राहक संस्था की मालकी अगर स्थानीय सरकारी प्राधिकरण के पास हो, तो उस संस्था का क्रय अधिकारी शासकीय अधिकारी होता है?

"शासकीय अधिकारी" यह एक विस्तृत संज्ञा है. इसमे किसी भी कार्यकारी, कानूनी या न्यायविषयक शासकीय विभाग या एजन्सी के, सभी स्तरों के कर्मचारीयों का समावेश होता है. शासन के स्वामित्वमें होनेवाली या शासकीय नियंत्रण मे होनेवाली कंपनीयों के अधिकारी तथा कर्मचारी "शासकीय अधिकारी" माने जातें हैं. इस प्रकार से इस संज्ञा की व्याप्ति केवल निर्वाचित अधिकारी, सीमाशुल्क आणि कर निरिक्षक तथा शासकीय क्रय विभाग के अधिकारीयों तकही सीमित नहीं है, तो, राज्यों के स्वमित्व मे होनेवाले संस्थाओं के कर्मचारी भी इसमें शामिल होतें है. इसमे और समाविष्ट होतें हैं- (अ) शासकीय संस्था, विभाग या एजन्सीयों मे काम करने वाले अधिकृत व्यक्ति, (ब) आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन या जागतिक बँक जैसे किसीभी निजी आंतरराष्ट्रीय संस्था के अधिकारी वा कर्मचारी, और (क) विदेशी राजकीय पक्ष, पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधी या किसी पद का उम्मीदवार. ध्यान में रखें कि, यह नीति किसी के भी साथ घूस, कमिशन देना तथा अन्य कोई प्रकारके भ्रष्ट लेन-देन के व्यवहार करने को प्रतिबंध करती है, फिर वह शासकीय अधिकारी हो या ना हो.

कुछ व्यवसायोंमें व्यवसाय बढाना तथा कायम रखनेके लिए किसी तृतीय पक्षीय एजन्ट को नियुक्त करना आम बात होती है. एजन्ट कोयी अनुचित भुगतान तो कर नही रहा है इस बात की निश्चिती करने के लिए कर्मचारीओंने कौनसी ख़तरे की घंटीयाँ ध्यान में रखनी चाहियें?

- **संभाव्य व्यावसायिक भागीदारों के प्रति योग्य सतर्कता बरतना महत्त्वपूर्ण है, क्यौं की किसी तृतीय पक्ष ने ईटन के नाम पर किए गए व्यवहार के लिए, जितना दायित्व ईटनने खुद भुगतान करने पर आएगा, उतना ही दायित्व ईटन पर इस परिस्थितिमें भी आ सकता है.** हमारा यह भविष्य भागीदार एक वैध संस्था है, और उसके पास अपने कर्तव्य निभाने के लिए आवश्यक सभी कुशलता, गुण, संसाधन तथा क्षमता हैं और व्यवसाय भागीदार या उनमे से कोयीभी कर्मचारी या उनसे संबंधित व्यक्ति या संस्थाओंने अनुचित लेन-देन के व्यवहार किये नही हैं या करने की आशंका नही है इस बात की पुष्टी कर लें. निम्न प्रश्नोंके उत्तर ढूंढने पर, आपको तृतीय पक्ष भ्रष्ट लेन-देन के व्यवहारोंमे अटके होने की आशंकाओं के बारे में चेतावनी मिलने में मदद मिल सकती है-
- विशेषतः भ्रष्टाचार के मामले मे इस तृतीय पक्ष की प्रतिष्ठा कैसी है?
- क्या इस तृतीय पक्ष का किसी शासकीय अधिकारी के साथ पारिवारीक अथवा व्यावसायिक संबंध है?
- यह तृतीय पक्ष एक संस्था हो, तो, क्या यह संस्था किसी शासकीय अधिकारी के स्वामित्व मे है?
- यह तृतीय पक्ष एक व्यक्ति हो, तो, क्या यह व्यक्ती इस समय शासकीय अधिकारी है या पहले थी?
- क्या किसी शासकीय अधिकारी ने इस तृतीय पक्ष की सिफारिश की है?
- आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए क्या इस तृतीय पक्ष के पास ज़रूरी कर्मचारी वर्ग, कुशलता, सुविधा तथा अन्य संसाधन हैं?
- क्या इस तृतीय पक्ष ने उद्धृत किये हुए शुल्क, कमिशन या अन्य मुआवज़ें उचित एवं उस प्रदेश के, उस प्रकार की सेवा या व्यवस्थाओं के लिए बाज़ार के मूल्यों से सुसंगत हैं?
- क्या यह तृतीय पक्ष, नकद भुगतान, साधारण से अलग अधिलाभांश, ठोस अग्रिम भुगतान या अन्य

देश मे भुगतान या लेखा पुस्तकों के बाहर के व्यवहार करने की माँग कर रहा है?

- क्या इस तृतीय पक्ष को, लेन-देन के भ्रष्ट व्यवहारों को प्रतिबंध करने वाली ईटन की नीति के बारे मे जानकारी है व क्या उसका पालन करने मे उसकी संमती है?
- क्या इस तृतीय पक्ष को कभीभी भ्रष्टाचार संबंधि शासकीय जाँच, अनौपचारिक पूछ-ताछ या प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करना पड़ा है?

और आखिर में, एकत्रित काम करने के संपूर्ण कालावधि मे इस व्यवसाय भागीदार की कृति तथा कर्तव्यों के बारे मे कामगिरी पर आवश्यक परिश्रम लेना और उसका ब्योरा लेने संबंधि योग्य सतर्कता बरतना ज़रूरी है, जिससे कोई आशंका हो, तो वह जल्द से जल्द बाहर आ सकेगी और उनपर कार्रवाई करना मुमकिन होगा.

सतर्क रहने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने के लिए और आपकी इस सतर्कता से निकले हुए निष्कर्षों का मूल्यमापन करने में कानून विभाग आपकी मदद कर सकेगा.

एक संभाव्य व्यवसाय भागीदार के बारे मे मेरी सर्कतासंबंधि मै निश्चिंत हूँ, परंतु इस भागीदार के साथ की जाने वाली हमारी संविदा में मुझे किस प्रकार के प्रावधानों का समावेश करना चाहिए**?**

इस बारे में हमारा कानून विभाग आपकी मदद कर सकेगा, परंतु सर्वसाधारणतः, इन प्रावधानों में इन चीज़ों का समावेश होगा- (अ) भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिनिधित्व, गारंटी तथा एफसीपीए सहित सभी भ्रष्टाचारविरोधी कानूनोंका पालन करनेसंबंधि नियम; (ब) प्रतिनिधित्व, हमी आणि नियमोंका पालन हो रहा है इस बात की निश्चिती करने के लिए व्यवसाय भागीदार के लेखा पुस्तकों की तथा अभिलेखों की जाँच करने के अधिकार; एवं (क) कोयी भी भ्रष्टाचारविरोधी कानून या संविदा संदर्भ में प्रतिनिधित्व, गारंटी और नियमों का उल्लंघन होने पर व्यावसायिक भागीदारी समाप्त करने के अधिकार.

भ्रष्ट लेन-देन की माँगे या इस तरह के प्रस्तावों का प्रत्युत्तर मुझे किस प्रकार से देना चाहिए?

ईटन की प्रतिष्ठा, अपनी नीति-संहिता एवं अपने सर्वोत्तम हेतु, इन सबके होते हुए भी हमारे में से कुछ लोगों को अपने काम करते समय इस प्रकार के अनुभव आ सकतें हैं, जब हम समझ जातें हैं कि, किसी संभाव्य ग्राहक या अधिकारी को घूस या अन्य भ्रष्ट लेन-देन की अपेक्षा है या वह हमें कमिशन दे रहें हैं. इस माँग या प्रस्ताव का इन्कार करने के पहले कदम के अलावा, हमेशा अंतर्गत मदद लें. जहाँ से यह अनुचित माँगें उत्पन्न हो रहीं है उन संस्थाओं तक, आपके वरिष्ठ या अन्य ईटन प्रबंधक, पहुँच कर सर्वोच्च स्तर पर इस बर्ताव के ख़िलाफ आवाज़ उठा सकतें हैं.

इसके अलावा, आपके व्यावसायिक व्यवहारों में इन चीज़ों पर गौर करें-

- संबंध निर्मिति करें- परस्पर लाभों को महत्त्व दें.
- हमारे उच्च सिद्धांत तथा मान्यताओं से प्रामाणिक रह कर दोनों पक्षों के लाभ के लिए इस ग्राहक, विक्रेता या अधिकारी के साथ आप कितनी मेहनत लेने के लिए तैय्यार हैं इसपर ज़ोर दें.
- ईटन की मान्यताएं, ईमानदारी तथा योग्य तरीके से व्यवसाय करने के महत्त्व पर चर्चा करें.
- ईटन का वास्तविक प्रस्ताव क्या है इसपर चर्चा करें- तंत्रज्ञान, निवेश, कुशलताएँ, प्रशिक्षण, नौकरियां एवं विकास.
- हमारी मान्यताओं के बारे में चर्चा करतें समय, हमारे कर्मचारी, व्यवसाय भागीदार, विक्रेता, संविदाकार और अधिकरीओंसे, वह इन मान्यताओं से सुसंगत कृति करे ऐसी उम्मीद हम रखतें हैं यह सूचित करें.

- स्थानीय अधिकारीओं से बातचीत करते समय, इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दें कि, घूस तथा भ्रष्टाचार के व्यवहारों की माँगों से हमें संरक्षित रखने की उनकी क्षमता पर हमारा पूरा विश्वास है और इसीलिए हम इस प्रदेश में निवेश कर रहें हैं.
- शासकीय अधिकारीओं के साथ घूस के व्यवहार करना तथा अनुचित व्यवहारों के अनुचित अभिलेख रखना इनके लिए न्याय व्यवस्था में बहुत गंभीर स्वरूप का जुर्माना और दंड की तज़वीज़ है, यह समझाएँ.
- लगातार एक ही संदेश से देतें रहें - "हम ऐसे हैं"; "हम ऐसे व्यवसाय करतें हैं".
- आपकी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए काम करें और यह मत भूलें कि ईटन की प्रतिष्ठा आपसे पहले आती है. इन चीज़ोंकी माँग करके देखें यह उम्माद ही नष्ट करें.

आखिर में, अगर ऐसा समय आता है, तो आपने योग्य निर्णय किया है यह समझकर वहाँसे दूर चलें. नैतिक और कानूनी मार्गोंसे ना मिलनेवाले कोई भी स्वरूप के व्यवसाय की ईटन ना तो इच्छा रखतें हैं, ना ही उसकी हमें ज़रूरत है.